प्र.सं. 82/2019 अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट
जसमिन्द्र सिंह बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2019/00376

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
16.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए चक 11 पीएस के मु.नं. 15 प.नं. 192/280 के कि.नं. 6/2 ता 8/2 व कि.नं. 11/1 ता 15/1 की 1.201 है. नहरी भूमि की जमाबंदी में आवेदन का नाम जसविन्द्र सिह के स्थान पर जसमिन्द्र सिंह की दुरूस्ती करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए के पस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 11 पीएस के मु.नं. 15 प.नं. 192/280 के कि.नं. 6/2 ता 8/2 व कि.नं. 11/1 ता 15/1 की 1.201 है. नहरी भूमि खातेदारी रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों में जसमिन्द्र सिंह पुत्र निर्मलसिंह हैं। जबकि जमाबंदी में गलती से जसविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह दर्ज हो गया है। जो कि लिपिकीय भूल हैं, जिसे दूरूस्त किया जना न्यायोचित होगा। अतः दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./14 दिनांक 01.01.2020 के अनुसार चक 11 पीएस की जमाबंदी में मु.नं. 15 की 1.201है. नहरी रकबा जसविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति कम्बोसिख सा0 11 पीएस के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त रकबा प्रार्थी को नामान्तरकरण सं. 204 किस्म वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम जसविन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम जसमिन्द्र सिंह हैं जिसके आधार पर प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में जसविन्द्र सिंह के स्थान पर जसमिन्द्र सिह करवाना चाहता हैं। बहस प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम जसमिन्द्र सिंह दर्ज हैं। तथा जमावंदी में जसविन्द्र सिंह दर्ज हैं। जो कि लिपिकीय भूल होना प्रतीत होता हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायोचित्त प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 11 पीएस के खाता सं. 51 के मु.नं. 15 प.नं. 192/280 के कि.नं. 6/2 ता 8/2 व कि. नं. 11/1 ता 15/1 की [illegible] है. नहरी भूमि में दर्ज जसविन्द्र सिंह के स्थान पर जसमिन्द्र सिह [illegible] कर दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार [illegible] भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अर्पिता (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.04 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner